रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235867 CG-DL-E-19052022-235867

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342] No. 342] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2022/वैशाख 29, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2022/VAISAKHA 29, 1944

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2022

सा.का.नि. 358(अ).— केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (सूचना प्रस्तुत करना) नियम, 2016 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (सूचना प्रस्तुत करना) (संशोधन) नियम, 2022 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (सूचना प्रस्तुत करना) नियम, 2016 में ''मूल विवरण'' के अधीन, प्ररूप में,-
 - (क) "उद्योग आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर "उद्यम रजिस्ट्रीकरण संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

3355 GI/2022 (1)

(ख) "उद्योग आधार प्राप्त करें" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एक्स.9(8)/2016-एसएमई]

मर्सी एपाओ, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. संख्यांक 750 (अ), तारीख 01 अगस्त, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2022

- **G.S.R.** 358(E).— In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 29 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following amendments in the Micro, Small and Medium Enterprises Development (Furnishing of Information) Rules, 2016, namely:-
- 1. Short title and Commencement. (1) These rules may be called the Micro, Small and Medium Enterprises Development (Furnishing of Information) (Amendment) Rules, 2022
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Micro, Small and Medium Enterprises Development (Furnishing of Information) Rules, 2016, in the Form, under the "Basic Details",-
 - (a) For the words "Udyog Aadhaar Number" the words "Udyam Registration Number" shall be substituted;
 - (b) the words "Get Udyog Aadhaar" shall be omitted.

[F.No.9(8)/2016-SME]

MERCY EPAO, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection(i) vide number G.S.R. 750(E), dated the 1st August, 2016.